107

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक–

संदीप जैन तनय स्व0 देवेन्द्र जैन निवासी पुराना पावर हाउस चौक के पास सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)..............**आवेदक/निगराकार**

II/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/0326

बनाम

1) शासन म0प्र0

2) राजेश सिंह गहरवार पिता श्री शिवपाल सिंह गहरवार निवासी घनश्याम बिहार कालोनी के बगल में, भरहुतनगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...**अनावेदक/गैरनिगराकारगण**

निगरानी (पुनरीक्षण) विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक 16अ12/2017–2018 आदेश दिनांक 26.12.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959।

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदक/निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक/निगराकार मौजा बदखर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी खसरा नं0 38/2/क/3 रकवा 0.234 हे0 एवं आ0नं0 38/2/ख/3 रकवा 0.162 हे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.396 हे0 का अभिलिखित भूमिस्वामी व काबिजदार है तथा आवेदक की उक्त भूमिस्वामी स्वत्व के पश्चिम की ओर अनावेदक क0 2/गैर निगराकार क0 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की आ0ख0नं0 38/1/क/6/3, 38/2/क/4 एवं 38/2/ख/1 कुल रकवा 0.404 हे0 स्थित है। दिनांक 14.12.2017 को गैरनिगराकार क0 2 मौके पर जाकर आवेदक/ निगराकार की उक्त भूमि के पश्चिमी अंश भाग 5 फिट चौड़ा बाई 400 फिट लम्बे भाग पर कब्जा करते हुये नींव खोदकर बाउन्ड्री बॉल बनाना प्रारंभ कर दिया गया। जिसकी सूचना मिलने पर आवेदक/निगराकार मौके पर गया व अनावेदक को जबरन कब्जा करने व बाउण्ड्री बनाने से मना किया गया तब गैरनिगराकार क0 2 ने बताया कि उसने अपनी उक्त आराजी का सीमांकन करा लिया है व आवेदक/निगराकार की भूमि का पूर्वी अंश भाग 5 फिट चौड़ा बाई 400 फिट लम्बा भाग उसका है यह सुनकर आवेदक/निगराकार आश्चर्य–चकित रह गया कि बिना उसे सूचना दिये व उसकी अनुपस्थिति में कैसे सीमांकन हो सकता है। उसी आधार पर निगराकार ने राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना से सीमांकन के संबंध में जानकारी

//2//

Sandeep Jain

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0326

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0326

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17 –1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 एल0 सोनी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 16/अ–12/2017–18 में पारित आदेश जिला 26.12.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–अनावेदक कमांक–2 राजेश सिंह गहरवार पिता शिवपाल सिंह गहरवार निवासी सतना की आराजी कमांक 38/1क/6/3/38/2/क/4 एवं 38/2/ख/1 कुल रकवा 4.404 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। पटवारी द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक को प्रदाय किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.17 को सीमांकन की पुष्टि की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मोजा बदखर तहसील रघुराजनगर जिलासतना की आराजी खसरा नं0 38/2/क/3 रकवा 0.234 है0 एवं आराजी नं0 38/2/ख/3 रकवा 0.162 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.396 है0 का अभिलिखित भूमिस्वामी व काबिजदार है तथा आवेदक की उक्त भूमिस्वामी स्वत्व के पश्चिम की ओर अनावेदक कमांक 2 के	

भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी खसरा नं0 38/1क/6/3/38/2/क/4 एवं 38/2/ख/1 कुल रकवा 4.404 है0 स्थित है। अनावेदक कमांक द्वारा दिनांक 14.12.17 को उक्त भूमि के पश्चिमी अंश भाग 5 फिट चौड़ा बाई 400 फिट लंबे भाग पर कब्जा करते हुये नीवं खेदकर बाउन्ड्री बॉल बनाने से मना किया गया तब अनावेदक 2 ने बताया कि उसने अपनी उक्त आराजी का सीमांकन करा लिया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमों की अनदेखी करते हुये प्राकृतिक न्याय सिद्वांतों के विपरीत सीमांकन आदेश दिनांक 26.12.17 त्रुटिपूर्ण है था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक के नाम के आगे किसी लोकनाथ के हस्ताक्षर कराये गये है जो कि आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नहीं है। सूचना पत्र एवं स्थल पंचनामा सीमांकन आदेश विधि होना निर्धारित नहीं किया जा सकता व काबिल निरस्तगी योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक सतना का आदेश दिनांक 26.12.17 निरस्त कर पुनः सीमांकन करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक कमांक–2 राजेश सिंह पिता शिवपाल सिंह निवासी सतना की आराजी कमांक 38/1क/6/3/38/2/क/4 एवं 38/2/ख/1 कुल रकवा 4.404 है0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

पटवारी द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक को प्रदाय किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.17 को सीमांकन की पुष्टि पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 26.11.17 से की गई है और अपने आदेश दिनांक 26.12.17 के आदेश पत्रिका में लेख किया गया है कि सरहदद्ी कास्तकारों को सूचना दी गई जबकि आवेदक संदीप जैन के नाम के आगे लोकनाथ नाम लिखा गया है और स्थल पंचनामा में लेख किया गया है कि संदीप जैन के प्रतिनिधि के रूप में लोकनाथ यादव सीमांकन के समय उपस्थित रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि संजीप जैन को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है और उनके पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है। ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित

सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।'' 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सीमांकन की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और इस ओर राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर द्वारा किया गया आदेश दिनांक 26.12.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5–उपरोक्त विवेचना के अधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना का प्रकरण कमांक 16/अ–12/2017–18 में पारित आदेश जिला 26.12.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि टीम गठित कर सरहद्दी एवं हितबद्व पक्षकारों को सूचना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये धारा 129 के नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य